"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 अप्रैल 2013—चैत्र 29, शक 1935

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

राज भवन, रायपुर
राज्यपाल का सचिवालय, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 12 मार्च 2013

क्रमांक/एफ 57-2/रास/स्था./2011.—सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 28 की उपधारा (1) और (2) (i) से (iv) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्यपाल का सचिवालय सूचना का अधिकार (आवेदन प्रस्तुति तथा शुल्क एवं लागत) नियम 2009 में निम्नलिखित और जोड़ा जाये, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों के नियम 7 के नीचे नियम 8 अतिरिक्त रूप से जोड़ा जावे :—

"8. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा सूचना का अधिकार के तहत् समय-समय पर बनाये गये नियम व अधिनियम भी लागू होंगे."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

No./F-57-2/GS/2011.—In exercise of the powers conferred by class (1) and (2) (i) to (iv) of Section 28 of the Right of Information Act, 2005 (No. 22 of 2005), the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following further amendment in the Governor's Secretariat Chhattisgarh Right to Information (Submission of application and fee and cost) Rules 2009, namely :—

AMENDMENT

After rule the following Rule 8 is to be added in the existing Right to Information rule 2009:

"8. with reference to Right to Information Act, 2005, the amendments incorporate by Central Government as well as State Government from time to time shall be followed by the Governor's Secretariat."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. एल्मा, राज्यपाल के उप-सचिव.

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2013

क्रमांक 540/583/2013/1-8.—श्री ए. के. सामंतराय, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग को उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19-03-2013 द्वारा सुपर टाइम स्केल वेतनमान रुपये 22850-500-24850 (Revised Rs. 70290-1540-76450) में नियुक्त करने के फलस्वरूप श्री ए. के. सामंतराय को प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 4-6/2006/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश कुमार अग्निहोत्री, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 05 दिसंबर, 2012 से 10 दिसंबर, 2012 तक (06 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित लघुकृत अवकाश का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ-1-19/2007/सात-3 (पार्ट-4).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख सेवा चतुर्थ श्रेणी, सेवा भर्ती नियम, 2010 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

अनुसूची के टीप (2) के पश्चात्, निम्नलिखित टीप (3) जोड़ी जाए, अर्थात् :—

"(3) बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिलों में, उपलब्ध चतुर्थ श्रेणी के पदों को सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-1/2012/1-3, दिनांक 17-01-2012 के अनुसार जिला स्तरीय पद घोषित किया जाए, चतुर्थ श्रेणी के इन पदों को ऐसे जिलों के स्थानीय निवासियों से अधिसूचना की तारीख से 2 वर्षों की कालावधि के लिए भरा जायेगा तथा इन पदों पर नियुक्ति के लिए संबंधित जिले के जिलाधीश नियुक्ति प्राधिकारी होंगे."

No. F-1-19/2007/7-3 (Part-IV).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constiution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Land Record Services, Class-IV, Service Recruitment Rules, 2010, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

After Note (2) of the Schedule, the following Note (3) shall be added, namely :—

"(3) In the districts of Bastar and Sarguja Division, the available posts of Class-IV shall be declared as district level posts as per General Administration Department's Notification No. F-1-1/2012/1-3, dated 17-01-2012. These posts of Class-IV shall be fulfilled from local resident of such districts for a period of two years from the date of notification and for appointment on these posts, concerned District Collector shall be the Appointing Authority."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, उप-सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 फरवरी 2013

क्रमांक एफ 1-31/खाद्य/2011/29.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नाप-तौल विभाग (चतुर्थ श्रेणी) सेवा भर्ती नियम, 2012 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

अनुसूची के सरल क्रमांक 2 के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाये, अर्थात् :—

स. क्र.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	भर्ती का तरीका	आयु सीमा न्यूनतम/ अधिकतम	विहित शैक्षणिक अर्हता	परिवीक्षा की कालावधि यदि कोई हो	नियुक्ति प्राधिकारी	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	चौकीदार	03	चतुर्थ श्रेणी	वेतन बैंड रु. 4750-7440+ग्रेड वेतन रु. 1300	100% सीधी भर्ती द्वारा	18 से 30 वर्ष (छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए आयु 18 से 35 वर्ष)	8वीं उत्तीर्ण	2 वर्ष	नियंत्रक, नाप-तौल छत्तीसगढ़	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, सचिव.

रायपुर, दिनांक 15 फरवरी 2013

क्रमांक एफ 1-31/खाद्य/2011/29.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 फरवरी, 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, सचिव.

Raipur, the 15th February, 2013

No. F 1-31/Food/2011/29.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constiution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Weight & Measure Department (class IV) Service Recruitment Rules, 2012, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

After serial number 2 of the Schedule, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :—

S. No.	Name of the post	Number of Posts	Classi-fication	Scale of Pay	Method of Recruit-ment	Age limit Minimum/ Maximum	Prescribed Edu-cational Quali-fication	Period of Probation Trial if any	Appointing Authority	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Watchman	03	Class-IV	Pay Band Rs. 4750-7440+ Grade Pay Rs. 1300	100% by direct Recruit-ment	18 to 30 years (Age for residents of Chhattisgarh 18 to 35 years)	8th pass	2 years	Controller Weights and Measures Chhattisgarh	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS SHEEL, Secretary.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2013

क्रमांक/एफ-17-68/25-2/2012.—यतः छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की राय है कि छत्तीसगढ़ राज्य के अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत लोगों की आजीविका की सुरक्षा सहित वन भूमि, लघु वनोपज तथा खनिज के उपयोग एवं समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के प्रयोजन से अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) एवं अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2007 जैसा कि यह छत्तीसगढ़ राज्य के अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र में लागू है, का उपांतरण आवश्यक है;

अतएव, भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची की पैरा 5 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निर्देश देते हैं कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) एवं अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2007 निम्नलिखित रूपांतरणों के अध्यधीन रहते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होंगे, अर्थात् :—

1. अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2007 के नियम 6 के खण्ड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"(ढ) उप-खण्ड स्तरीय समिति द्वारा निरस्त समस्त दावों को स्वत: याचिका के रूप में माना जा सकेगा तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबंधों के अधीन तथा नियम 13 के खण्ड (क) से (झ) के अधीन केवल एक बार के लिए पुन: परीक्षण किया जा सकेगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2013

क्रमांक/एफ-17-68/25-2/2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18-02-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

Raipur, the 18th February, 2013

No. F-17-68/25-2/2012.—Whereas, the Govenor of Chhattisgarh is of the opinion that for the purpose of protection of the livelihood, including use of forest land, minor forest produce and minerals, and to ensure overall socio-economic development of the inhabitants of scheduled areas of the State of Chhattisgarh, modification of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007) and the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Rules, 2007 in its application to the notified Scheduled Areas of the State of Chhattisgarh is necessary ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 5 of the Fifth Schedule to the Consitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, directs that the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007) and the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Rules, 2007 shall apply, subject to the following modification to the notifies Scheduled Areas of the State of Chhattisgarh, namely :—

1. After clause (m) of rule 6 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Rules, 2007, the following clause shall be added, namely :—

"(n) All claims rejected by the sub-divisional level committee may be treated as petition in itself and may be re-examined for one time only under clause (a) to (i) of rule 13 and under provisions of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007)."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR PINGUA, Secretary.

वित्त विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 मार्च 2013

क्रमांक एफ 1-29/2011/स्था./चार.—भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र संख्या डीएडी (एसजीसी) बीपीएल नं./05.01.037/2010-11, दिनांक 06 मई, 2011 द्वारा स्वीकृति के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की निम्नलिखित शाखा को शासकीय संव्यवहार हेतु अधिकृत करता है :—

(1) भारतीय स्टेट बैंक, शाखा—पखांजूर, जिला कांकेर

No. F-1-29/2011/Est/Four.—In pursuance of R.B.I.'s approval, vide their letter No. Dated DAD (SGC). BPL No./05.01.037/2010-11, May 06, 2011 The Government of Chhattisgarh, hereby authorise the S.B.I. branch referred below, for Govt. Transactions.

(1) State Bank of India, Branch Pakhanjur, District Kanker.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. जे. खत्री, संयुक्त सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2013

क्रमांक/एफ-04/01/2010/14-2.—राज्य शासन द्वारा विभाग के समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक/4034/एफ-04/01/2010/14-2 दिनांक 21-01-2010 द्वारा कई मण्डियों के क्षेत्र में एक से अधिक जिला, तहसील आने से मण्डी समितियों के क्षेत्र सीमा परिवर्तन एवं युक्तियुक्तकरण संबंधित कार्यवाही किए जाने पर निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित होने के फलस्वरूप घोषित कृषि उपज मण्डी समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम वर्ष 2010-11 अनुसार कार्यवाही संपन्न कराया जाना संभव न हो पाने के कारण घोषित निर्वाचन कार्यक्रम 2010-11 को 06 माह के लिए मुल्तवी किया गया था. पुन: राज्य शासन द्वारा मण्डी अधिनियम में संशोधन हेतु मण्डी समितियों के क्षेत्र सीमा परिवर्तन एवं युक्तियुक्तकरण संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 3614, रायपुर दिनांक 13-09-2011 द्वारा मण्डी निर्वाचन को 06 माह के लिए मुल्तवी किया गया था. पुन: राज्य शासन द्वारा मण्डी अधिनियम में हुए संशोधन के फलस्वरूप मण्डी निर्वाचन नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने तथा 09 नए जिले गठित होने से मण्डी समितियों के क्षेत्र परिवर्तन एवं युक्तियुक्तकरण कार्यवाही के प्रक्रियाधीन होने के कारण समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 455 रायपुर दिनांक 08-02-2012 द्वारा मण्डी निर्वाचन को 06 माह के लिए मुल्तवी किया गया है. पुन: राज्य शासन द्वारा युक्तियुक्तकरण कार्यवाही के प्रक्रियाधीन होने के कारण समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 3584 रायपुर दिनांक 07-08-2012 द्वारा मण्डी निर्वाचन को 06 माह के लिए मुल्तवी किया गया है.

उक्त निर्वाचन की कार्यवाही को निम्नलिखित कारणों को ध्यान में रखते हुए लगभग 06 माह के लिए मुल्तवी किया जाना आवश्यक होगा :—

1. वर्तमान में मण्डी समिति के क्षेत्र सीमा तथा नवगठित 09 जिलों के परिसीमन एवं परिवर्तन के कारण युक्तियुक्तकरण संबंधित कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

2. कार्यालयीन पत्र क्र. 3693 दिनांक 11-09-2012 द्वारा छ.ग. कृषि उपज मण्डी समिति के निर्वाचन हेतु छ.ग. कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति का निर्वाचन नियम) नियम 1997 में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

3. निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु निर्वाचन कार्यक्रम तैयार कर प्रशासनिक अनुमोदन हेतु नस्ती माननीय अध्यक्ष महोदय के स्तर पर प्रक्रियाधीन है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 "क" की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों के निर्वाचनों को 06 माह की अवधि के लिए मुल्तवी करती है.

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2013

क्रमांक/940/डी-15/116/P-II/2004/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5233/डी-15/116/2004/14-2, दिनांक 13-10-2008 में आंशिक संशोधन एवं छूट प्रदान करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, गन्ना फसल (जो राज्य के भीतर कृषकों द्वारा उत्पादित हो) पर प्रति 100 रुपये मूल्य पर 0.50 (पचास पैसे) की दर से मण्डी शुल्क नियत करती है, जो इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 31-03-2015 तक प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2013

क्रमांक/एफ-04/01/2010/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/940/डी-15/116/P-II/2004/14-2 दिनांक 28-2-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

Raipur, the 28th February 2013

No./940/D-15/116/Part-II/2004/14-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 69 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) and partly amending and relaxing the notification No. 5233/D-15/116/2004/14-2, dated 13-10-2008 of this department, the State Government, hereby, fixes Mandi Fee at the rate of Rs. 0.50 (Fifty paise) per 100 Rupees on sugarcane agriculture produce only (which is produced by farmer within the State), with effect from the date of publication of this notification upto 31-03-2015.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 14 मार्च 2013

क्रमांक/1213/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम एवम् पंजीकृत बीज उत्पादन सहकारी समितियों, को छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की देख-रेख में, कृषकों के प्रक्षेत्रों में बीज उत्पादन

कार्यक्रम संचालित कर रही है, को उत्पदित बीज के क्रय करने पर जुलाई, 2005 से आगामी आदेश तक समस्त प्रकार की प्राप्त फसलों के बीज पर मण्डी शुल्क से छूट प्रदान करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 14 मार्च 2013

क्रमांक/एफ-04/01/2010/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/1213/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2 दिनांक 14-3-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

Raipur, the 14th March, 2013

No./1213/D-15/116/Part-II/2004/14-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 69 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, exempts Chhattisgarh State Beej Evam Krishi Vikas Nigam and registered Seed Production Co-operative Society which organise Seed Production Programme for area of farmers under the supervision of Chhattisgarh State Seed Certification Institute, from payment of Mandi fees for puchasing of all types produced crop seed from July, 2005 till further order.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 14-26/2012/19/तक-4.—भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 (1851 का सं. 8), जैसा कि यह छत्तीसगढ़ राज्य में लागू है, की धारा 2 सहपठित धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23-10/97/जी/19, भोपाल, दिनांक 29-06-1998 को अतिष्ठित करते हुए, एतद्द्वारा, गरियाबंद जिले में राजिम-फिंगेश्वर-महासमुंद मार्ग के कि.मी. 20/4 पर स्थित सुखानाला पुल पर पथकर की वसूली दिनांक 10-04-2013 से समाप्त करती है.

No F-14-26/2012/19/T-4.—In exercise of the powers conferred by section-2 read with Section-4 of the Indian Tolls Act, 1851 (No. VIII of 1851) in its application to the State of Chhattisgarh, the State Government, in supersession of department's Notification No. F-23-10/97/G/19, Bhopal, dated 29-06-1998, hereby, stops the levy of Tolls on Shukha Nala Bridge, located at 20/4 Km. of Rajim-Fingeshwar-mahasamund Road in Gariyaband District, with effet from 10-04-2013.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. लुलु, उप-सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2013

क्रमांक एफ 10-1/2013/16.—असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

(अ) योजना का प्रावधान :—

(i) योजना का नाम "मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार स्वावलंबन पेंशन योजना" होगा.

(ii) यह योजना पंजीकृत असंगठित कर्मकार (जिसे आगे श्रमिक पढ़ा जावेगा) हेतु पेंशन योजना है, जिसका लाभ 18 से 60 वर्ष तक जमा रकम से मिलने वाली पेंशन के रूप में होगा. यदि किसी पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु पेंशन प्रारंभ होने से पहले हो जाती है तो उसके द्वारा नामित व्यक्ति को फंड की संपूर्ण राशि का भुगतान कर दिया जायेगा. यदि नामित व्यक्ति चाहे तो वह पेंशन भी ले सकता है.

(iii) योजना में हितग्राही का न्यूनतम अंशदान रु. 1,000/- है एवं एक वर्ष में अधिकतम अंशदान रुपये 12,000/- देय होगा. असंगठित कर्मकार किसी भी समयावधि में अपना अंशदान की राशि को अपनी बचत अनुसार बढ़ा सकता है.

(iv) "मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार स्वावलंबन पेंशन योजना" 18 वर्ष से 60 वर्ष तक के लिए पंजीकृत असंगठित कर्मकारों के लिए प्रभावशील होगा.

(v) "मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार स्वावलंबन पेंशन योजना" के तहत् प्रतिवर्ष रुपये 1,000/- पीएफआरडीए द्वारा केन्द्रांश राशि के रूप में प्रति श्रमिक हेतु जमा किया जावेगा एक प्रतिवर्ष प्रति श्रमिक रुपये 1,000/- असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा प्रदाय किया जावेगा.

(vi) "मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार स्वावलंबन पेंशन योजना" के प्रावधान के अनुसार 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाला हितग्राही जमा राशि का 60 प्रतिशत राशि एकमुश्त प्राप्त कर सकता है एवं बकाया 40 प्रतिशत राशि पेंशन के रूप में अदायगी होगी. 50 वर्ष की आयु से पूर्व भी पंजीकृत निर्माण श्रमिक योजना से पेंशन ले सकता है. उस स्थिति में 80 प्रतिशत राशि का प्रयोग पेंशन देने के रूप में किया जायेगा, बशर्ते पेंशन राशि न्यूनतम रुपये 1,000/- प्रतिमाह हो.

(vii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक 01-04-2013 से प्रभावशील होंगे.

(ब) योजना हेतु पात्रता :—

(i) योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु असंगठित कर्मकारों का मण्डल में पंजीयन होना आवश्यक होगा.

(ii) मण्डल द्वारा 18 से 60 वर्ष आयु के पंजीकृत असंगठित कर्मकारों को योजना में शामिल किया जावेगा.

(iii) यदि कोई व्यक्ति राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—

(i) आवेदक को स्वयं के हस्ताक्षर से आवेदन करना होगा.

(ii) दो रंगीन फोटो (पासपोर्ट साईज) फोटो पहचान पत्र, निवास तथा आयु प्रमाण पत्र.

(iii) आवेदन में छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल का पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है.

(iv) आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी/सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी कार्यालय में जमा किया जाना होगा.

(द) स्वीकृति का अधिकार :—

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी/सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी को होगा.

(इ) योजना का क्रियान्वयन :—

(i) योजना के क्रियान्वयन हेतु पीएफआरडीए द्वारा अधिकृत संस्थाओं को Aggregator/Facilitator नियुक्त किया जा सकेगा.

(फ) विसंगति का निराकरण :—

(i) योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2013

क्रमांक एफ-1-10/2013/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा-9 की उपधारा (1) सहपठित औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (क्र. 14 सन् 1947) की धारा-7 (अ) की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा श्री तपन कुमार चक्रवर्ती, जिला न्यायाधीश (सुपर टाईम स्केल) छत्तीसगढ़, जिनका स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन राज्य शासन द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की अनुशंसा अनुसार दिनांक 20-02-2013 से आदेश क्र. 1135/डी-433/21-ब/छ.ग./2013, दिनांक 8-02-2013 द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है, को छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में एतद्द्वारा दिनांक 21-02-2013 से अथवा उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक की अवधि के लिए नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 12 मार्च 2013

क्रमांक एफ 1-10/2006/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा छ.ग. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1984 की धाराओं में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए श्री श्रीनारायण तिवारी, निवासी बिलासपुर को छ.ग. श्रम कल्याण मंडल में अध्यक्ष के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्षों के लिये तत्काल प्रभाव से नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 28 फरवरी 2013

क्रमांक/1438/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपधारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	मोहड़ प. ह. नं. 13	69.672	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोंहदीपाट परियोजना संभाग, बालोद.	मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत बांध के डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 फरवरी 2013

क्रमांक/1441/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपधारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	सिरलगढ़ प. ह. नं. 15	15.095	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोंहदीपाट परियोजना संभाग, बालोद.	मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत बांध के डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 15 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 36/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	पुसौर प. ह. नं. 35	0.944	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना अंतर्गत गुडू माइनर एवं पुसौर माइनर-1 के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 15 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 37/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	सराईपाली प. ह. नं. 35	2.386	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना अंतर्गत तेलीपाली वितरक नहर के अंतर्गत पुसौर माइनर 3 के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 15 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 38/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	जकेला प. ह. नं. 30	3.460	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के झारमुड़ा शाखा नहर के अंतर्गत महुआपाली माइनर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 15 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 39/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	पड़िगांव प. ह. नं. 36	3.976	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के तेलीपाली वितरक नहर के अंतर्गत पुसौर माइनर- 3 के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 15 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 40/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	कोसमंदा प. ह. नं. 29	2.149	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के तेलीपाली वितरक नहर के अंतर्गत बाघाडोला माइनर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 15 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 41/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	औरदा प. ह. नं. 30	3.803	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के झारमुड़ा शाखा नहर के अंतर्गत शारदा वितरक नहर व महुआपाली माइनर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 15 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 42/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	सुटुपाली प. ह. नं. 36	3.738	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के तेलीपाली वितरक नहर के अंतर्गत नवापाली माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 15 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 43/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	गुड्डू प. ह. नं. 35	2.698	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के तेलीपाली वितरक नहर के अंतर्गत गुड्डू माइनर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 15 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 44/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	ओड़ेकेरा प. ह. नं. 36	6.415	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के तेलीपाली वितरक नहर के अंतर्गत ओड़ेकेरा एवं कलमी माइनर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 15 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 45/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	सुकुलभठली प. ह. नं. 12	0.456	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के तेलीपाली वितरक नहर के अंतर्गत पुसौर माईनर-1 निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 15 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 46/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	तड़ोला प. ह. नं. 36	3.705	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के तेलीपाली वितरक नहर के अंतर्गत पुसौर माइनर-1 एवं शारदा वितरक के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 15 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 47/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	कलमी प. ह. नं. 36	1.341	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के तेलीपाली वितरक नहर के अंतर्गत कलमी माइनर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 1 फरवरी 2013

क्रमांक 13/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	लोखण्डी प. ह. नं. 31	9.12	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	लछनपुर व्यपवर्तन योजना दायीं तट नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 फरवरी 2013

क्रमांक 15/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	हांफा प. ह. नं. 26	2.57	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	लछनपुर व्यपवर्तन योजना दायीं तट नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 फरवरी 2013

क्रमांक 16/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	उसलापुर प. ह. नं. 26	0.42	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	लछनपुर व्यपवर्तन योजना दायीं तट नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 7 फरवरी 2013

क्रमांक 14/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	तुरकाडीह प. ह. नं. 31	3.44	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	लछनपुर व्यपवर्तन योजना दायीं तट नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बलरामपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2012

रा.प्र.क्र. 01/अ-82/2012-2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बलरामपुर
- (ग) नगर/ग्राम-दहेजवार, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.10 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	280	0.10
योग	1	0.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नगर-बलरामपुर के आवर्धन जल प्रदाय योजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, रामानुजगंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 15 फरवरी 2013

रा.प्र.क्र. 02/अ-82/2012-2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)
- (ख) तहसील-रामानुजगंज
- (ग) नगर/ग्राम-सलवाही, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.05 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1231	0.31
	1233	0.35
	1235	0.51
	1223	0.30
	1227	0.48
	1232	0.44
	1230	0.22
	1338	0.03
	1237	0.41
योग	9	3.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चेरा व्यपवर्तन सिंचाई योजना के बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, रामानुजगंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 15 फरवरी 2013

रा.प्र.क्र. 03/अ-82/2012-2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)
- (ख) तहसील-रामानुजगंज
- (ग) नगर/ग्राम-लावा, प. ह. नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.16 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	316	0.11
	313/1	0.05
	313/2	0.06
	314	0.09
	315	0.02
	320	0.06
	335	0.68
	339	0.04
	340/1	0.04
	326	0.01
	329	0.04
	345/1	0.05
	345/2	0.02
	345/3	0.02
	346	0.06
	350	0.02
	330	0.05
	351	0.02
	352	0.03
	356	0.13
	357	0.01
	328	0.06
	353	0.03
	344	0.06
योग	24	1.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जमती झरिया व्यपवर्तन सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, रामानुजगंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 15 फरवरी 2013

रा.प्र.क्र. 4/अ-82/2012-2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

(ख) तहसील-रामानुजगंज

(ग) नगर/ग्राम-विमलापुर, प. ह. नं. 2

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.61 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
569	1.15
577	0.49
666	0.13
571	0.49
574	0.34
587	0.31
566	1.10
578	0.55
671	0.18
586/5	0.36
620	0.17
572	0.69
585	0.06
663	0.03
658	0.38
668	0.13
955	0.90
667	0.09
584	0.21
604	0.04
615	0.01
617	0.01
618	0.14
619	0.06
502	0.15
664	0.01
954	0.12
508	0.06
586/2	0.04
586/4	0.05
586/3	0.03
649	0.15
496/2	0.09
560/2	0.06
507/1	0.07
507/3	0.15

	(1)	(2)
	496/1	0.07
	469	0.05
	470	0.10
	472	0.06
	294	0.10
	295	0.13
योग	42	9.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अनभूल जलाशय के बांध, डूब, वेस्ट वियर एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, रामानुजगंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 15 फरवरी 2013

रा.प्र.क्र. 05/अ-82/2012-2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)
- (ख) तहसील-रामानुजगंज
- (ग) नगर/ग्राम-सनावल, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 1.05 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
363	0.04
378	0.07
374	0.04
375	0.07
376	0.16
369	0.09
377	0.13
410/2	0.02
406	0.08
407	0.13
414	0.02
425	0.07
426	0.02
463	0.03
467	0.08
योग 15	1.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कामेश्वरनगर जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, रामानुजगंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 15 फरवरी 2013

रा.प्र.क्र. 6/अ-82/2012-2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)
- (ख) तहसील-रामानुजगंज
- (ग) नगर/ग्राम-कामेश्वरनगर, प. ह. नं. 04
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.93 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1454	0.01
1445	0.14
1431/2	0.10
1431/3	0.10
1456/3	0.07
1431/4	0.02

	(1)	(2)
	1431/5	0.01
	1431/6	0.02
	1528	0.46
योग	9	0.93

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कामेश्वरनगर जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, रामानुजगंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 11 फरवरी 2013

क्रमांक/933/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अ. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-छेछानपहरी, प.ह.नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.708 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
811/3	0.137
811/1	0.004
805/2	0.008
806/2	0.024
829/1	0.061
807	0.024
809	0.016
810	0.206
822/1	0.069
822/2	0.053
822/3	0.053
821	0.020
827	0.093
828	0.045
830	0.061
826	0.008
854	0.008
829/3	0.077
849/1	0.137
850	0.105
851/1	0.113
851/2	0.020
847	0.057
855	0.041
856	0.069
857	0.077
860	0.004
844/1	0.053
866	0.041
867	0.012
868/3	0.012
योग 31	1.708

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहड़ परियोजना के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 फरवरी 2013

क्रमांक/934/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-खैरागढ़

(ग) नगर/ग्राम-लक्षना, प.ह.नं. 01

(घ) लगभग क्षेत्रफल-53.87 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
56/1	0.20
220/9	0.10
56/2	2.00
58	1.12
222	2.32
75/1	0.69
205/1	0.20
212/1	1.28
213/1	0.13
215/1	0.01
220/1	0.89
223/1	0.08
224/1	0.08
225/1	0.03
230/1	1.93
236	0.36
75/2	0.34
75/7	0.34
172/1	0.01
172/6	0.01
205/2	0.10
205/7	0.10
212/3	0.64
212/8	0.64
213/2	0.07
213/7	0.07
215/7	0.01
220/11	0.45
220/16	0.44
223/2	0.04
223/7	0.04
224/2	0.04
224/7	0.04
225/2	0.02
225/7	0.02
230/2	0.97
230/7	0.97
236/2	0.19
236/7	0.19
75/3	0.34
172/2	0.01
205/3	0.10
212/4	0.64
213/3	0.07
215/3	0.01
220/12	0.45
223/3	0.03
224/3	0.04
225/3	0.01
230/3	0.97
236/3	0.19
75/4	0.34
172/3	0.01
205/4	0.10
212/5	0.64
213/4	0.07
215/4	0.01
220/13	0.44
223/4	0.04
224/4	0.04
225/4	0.02
230/4	0.97
236/4	0.19
75/5	0.69
172/4	0.01
205/5	0.20
212/6	1.28
213/5	0.13
215/5	0.01
220/14	0.89
223/5	0.08
224/5	0.08
225/5	0.03
230/5	1.93
236/5	0.36
75/6	0.69
172/5	0.01
205/6	0.20
212/7	1.28
213/6	0.13
215/6	0.01
223/6	0.08
224/6	0.08

	(1)	(2)
	225/6	0.03
	236/6	0.36
	170/6	0.20
	75/8	0.69
	170/8	0.11
	205/8	0.20
	212/9	1.28
	213/8	0.03
	215/8	0.01
	220/17	0.89
	223/8	0.08
	224/8	0.08
	225/8	0.03
	230/8	1.93
	236/8	0.36
	78/2	0.68
	171	0.13
	207/1	3.65
	208	0.38
	209	1.04
	210	0.25
	215/2	0.22
	211	0.51
	229	0.18
	218	0.26
	220/2	0.10
	220/3	0.10
	220/4	0.20
	220/5	0.14
	220/6	0.10
	228	0.40
	173	0.10
	220/7	0.20
	220/8	0.19
	220/10	0.08
	220/15	0.89
	230/6	1.93
	182	1.15
	207/2	3.65
योग	122	53.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-प्रधानपाठ बैराज के डुबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 14 मार्च 2013

क्रमांक/1869/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-डोंगरगांव

(ग) नगर/ग्राम-आरी, प.ह.नं. 19

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.134 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
8/2	0.008
10/3	0.121
14/1	0.069
9/2	0.004
10/4	0.008
14/4	0.081
23	0.036
24	0.150
31/2	0.004
27/2	0.036
28/1	0.041
28/9	0.041
29/12	0.081
28/14	0.121
29/2	0.045
30/1	0.069
30/2	0.008
33/2	0.012
33/1	0.057
34/1	0.041
34/2	0.008
42/1	0.069
42/4	0.008
36/3	0.008
31/4	0.004

	(1)	(2)
	26/2	0.004
योग	26	1.134

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के अमलीडीह माइनर के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 14 मार्च 2013

क्रमांक/1870/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-डोंगरगांव

(ग) नगर/ग्राम-अमलीडीह, मा.ह.नं. 19

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.542 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
14/1	0.069
17/1	0.020
17/2	0.004
226/1	0.045
348/2	0.012
14/2	0.081
15	0.145
5/1	0.049
4/2	0.041
4/5	0.061
6	0.012
256/3	0.016
255/5	0.008
4/3	0.057
255/1	0.036
262	0.020
5/2	0.012
232/2	0.053
229/1	0.024
230	0.089
228	0.089
227	0.190
253	0.105
257/2	0.041
253/2	0.089
257/1	0.073
252	0.053
365	0.137
254/3	0.101
254/1	0.097
4/4	0.008
255/2	0.032
263	0.004
349/2	0.085
255/4	0.008
256/1	0.024
256/2	0.020
260	0.012
261	0.142
264	0.057
295	0.004
265	0.101
266	0.089
292	0.041
293/1	0.081
293/2	0.049
294	0.162
296	0.028
332	0.081
330/2	0.004
333/2	0.057
334/2	0.045
348/1	0.004
345	0.004
346	0.049
347/2	0.081
366	0.085
367/2	0.041
342/5	0.129
342/3	0.170
209/2	0.008

	(1)	(2)
	231/3	0.008
योग	62	3.542

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सूखानाला बैराज के अमलीडीह माइनर के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 14 मार्च 2013

क्रमांक/1871/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-डोंगरगांव
(ग) नगर/ग्राम-बरसनटोला, प.ह.नं. 19
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.819 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
41	0.041
38	0.041
40	0.314
39/1	0.234
36	0.194
37/2	0.085
55/2	0.089
67/3	0.024
198/4	0.024
198/6	0.162
198/3	0.016
206	0.081
207	0.081
263/3	0.081
198/5	0.121
263/2	0.004
55/1	0.133
56/1	0.234
188	0.105
189/2	0.004
191	0.061
190	0.041
192	0.049
21/2	0.041
195/1	0.016
195/2	0.053
196/2	0.016
194/2	0.129
194/1	0.057
208	0.008
205/2	0.028
205/3	0.093
205/4	0.049
21/3	0.045
205/5	0.057
197/1	0.008
योग 36	2.819

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के बरसनटोला माइनर के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 14 मार्च 2013

क्रमांक/1872/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-मनेरी, प.ह.नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.273 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	36/2	0.032
	86/1	0.153
	86/2	0.069
	94/2	0.065
	94/1	0.153
	94/3	0.089
	98	0.392
	99	0.020
	104	0.162
	6/1	0.049
	111/10	0.004
	111/6	0.077
	111/13	0.008
योग	13	1.273

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के मनेरी सब माइनर के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 मार्च 2013

क्रमांक/1956/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-बिहरीखुर्द, प.ह.नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.135 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
198/4	0.012
79	0.121
78	0.085
82/3	0.154
187/1	0.194
189	0.085
190	0.077
199/5	0.012
199/7	0.012
191/1	0.004
191/2	0.089
193/3	0.061
199/2	0.032
199/4	0.061
98/4	0.028
98/1	0.049
101/4	0.012
100	0.081
101/2	0.024
187/2	0.101
82/2	0.020
81	0.045
89/2	0.012
89/1	0.113
91/1	0.263
92/6	0.004
98/2	0.113
98/3	0.081
200	0.004
198/3	0.032
198/1	0.073

	(1)	(2)
	198/2	0.081
योग	32	2.135

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा परियोजना के अंतर्गत बिहरीखुर्द माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 मार्च 2013

क्रमांक/1957/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-डोंगाघाट, प.ह.नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.989 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
159	0.081
160	0.121
210	0.218
161/1	0.032
161/4	0.053
161/2	0.105
161/3	0.065
153/1-2	0.125
128	0.045
101	0.121
127	0.049
209/1	0.193
126	0.004
125	0.020
124/1	0.020
124/2	0.061
20	0.012
206/1	0.101
124/3	0.020
142	0.024
21	0.021
22	0.036
207	0.065
25	0.004
24	0.024
23	0.036
141	0.008
316	0.073
208	0.024
147	0.032
145	0.024
216	0.057
215	0.065
103	0.004
283	0.081
290	0.185
276	0.161
275	0.089
272/1-2-3	0.049
268	0.004
315	0.012
317	0.089
318/5	0.024
318/6	0.129
319/1	0.121
255/1	0.081
148/21	0.057
148/24	0.004
318/7	0.097
274/4	0.024
285	0.012
148/34	0.057
148/5	0.036
148/22	0.012
148/4	0.057
148/9	0.020
148/14	0.032
274/5	0.040
284	0.101

	(1)	(2)
	148/26	0.040
	148/15	0.089
	271	0.032
	148/12	0.008
	148/25	0.049
	8/26	0.020
	8/37	0.020
	8/30	0.093
	8/38	0.012
	8/39	0.109
योग	69	3.989

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–मोंगरा परियोजना के अंतर्गत दायीं तट लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 मार्च 2013

क्रमांक/1958/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–
- (क) जिला–राजनांदगांव
- (ख) तहसील–अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम–बिहरीकला, प.ह.नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल–4.103 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
80/1	0.049
80/2	0.069
79	0.008
92	0.316
96/2	0.267
72	0.032
82	0.032
73	0.105
71	0.016
102/2	0.008
102/3	0.012
103/1	0.162
103/2	0.085
103/4	0.061
84	0.324
96/14	0.073
96/23	0.113
103/3	0.040
103/5	0.073
128	0.061
96/7	0.218
111/1	0.182
110/3	0.073
110/4	0.016
112/1	0.109
113/1	0.024
116	0.028
114	0.045
117/1	0.109
118/1	0.129
122	0.004
123/4	0.057
123/5	0.057
119/5	0.004
123/1	0.089
124/1	0.012
121/1	0.049
123/3	0.004
125/1	0.081
134	0.004
140/2	0.053
141	0.113
140/5	0.061
145	0.004
144	0.101
74/2	0.004
121/3	0.089
158/5	0.008
160/1	0.004
160/2	0.049

	(1)	(2)
	160/3	0.028
	161/2	0.057
	162	0.077
	96/16	0.049
	126/1	0.105
	96/4	0.101
योग	56	4.103

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा परियोजना के अंतर्गत दायीं तट लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 मार्च 2013

क्रमांक/1959/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-बागनारा, प.ह.नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.529 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	136	0.057
	137/1	0.061
	135	0.084
	133	0.105
	138/1	0.057
	138/2	0.084
	140/1	0.065
	142/2	0.016
योग	8	0.529

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा परियोजना के अंतर्गत दायीं तट लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 मार्च 2013

क्रमांक/1960/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-दूर्रेटोला, प.ह.नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.079 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
89/1, 90/1, 91/1	0.016
76	0.154
85	0.234
88	0.008
84/2, 86/2	0.045
84/4, 86/4	0.109
84/5, 86/5	0.089
84/8, 86/8	0.085
84/1, 86/1	0.020
106/2	0.259
107	0.089
108	0.053

	(1)	(2)
	109/2, 126/2, 129/2	0.648
	120/2	0.117
	121/2, 122/2	0.032
	104	0.121
	121/1, 122/1	0.089
	103/1	0.146
	84/7, 86/7	0.012
	78	0.405
	76	0.348
योग	21	3.079

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा परियोजना के अंतर्गत बायीं तट लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 29 जनवरी 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-03/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पोंड़ीउपरोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-आमाखोखरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.49 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	100/24	0.40
	100/25	0.40
	100/26	0.40
	100/27	0.40
	100/28	0.40
	100/29	0.40
	100/30	0.40
	100/31क	0.10
	100/31ख	0.10
	100/31ग	0.10
	100/31घ	0.10
	100/32	0.40
	100/33क	0.20
	100/33ख	0.20
	100/34	0.40
	100/35	0.40
	100/36	0.40
	100/37	0.40
	100/38	0.40
	100/39	0.40
	100/40	0.40
	100/41क	0.13
	100/41ख	0.13
	100/41ग	0.13
	100/42	0.40
	100/43	0.40
	100/16	0.80
	100/63	0.70
योग		9.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - कटघोरा व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पोंड़ीउपरोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 27 फरवरी 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-04/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पोंड़ीउपरोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-आमाखोखरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.30 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	100/23	0.40
	100/20	0.80
	100/17	1.00
	100/37	0.40
	100/52	0.55
	100/21	0.20
	100/1स	1.05
	100/19	0.40
	100/56	2.50
योग		7.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - कटघोरा व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पोंड़ीउपरोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोण्डागांव, दिनांक 18 फरवरी 2013

क्रमांक/क/भू-अर्जन/1/अ-82/2011-2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोण्डागांव
- (ख) तहसील-केशकाल
- (ग) नगर/ग्राम-जामगांव, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.377 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	100/1च	0.040
	140/12	0.105
	83/13	0.036
	140/21	0.008
	83/12	0.064
	83/11क	0.084
	83/10	0.040
योग	6	0.377

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बोरगांव-अड़ेंगा पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, केशकाल अथवा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमन्त कुमार पहारे, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 11 फरवरी 2013

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./05/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-नकटी, प. ह. नं. 42
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.562 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	179/54	0.200
	181/6	0.119
	181/7	0.114
	181/10	0.119
	185/5	0.010
योग	5	0.562

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नया रायपुर अंतर्गत 6-लेन एक्सप्रेस-वे निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 15 फरवरी 2013

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./04/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सेरीखेड़ी, प. ह. नं. 42
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.627 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	635/2	0.131
	699/3	0.150
	519/7-8	0.220
	704/10	0.081
	704/11	0.045
योग	5	0.627

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नया रायपुर अंतर्गत 6-लेन एक्सप्रेस-वे निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 15 फरवरी 2013

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./25/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-रायपुर
(ग) नगर/ग्राम-रावांभाठा, प. ह. नं. 28
(घ) लगभग क्षेत्रफल-610 वर्गमीटर

	खसरा नम्बर	रकबा (वर्गमीटर में)
	(1)	(2)
	431/1	290
	431/2	320
योग	2	610

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रायपुर-बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.-30 में खमतराई, भनपुरी, रावांभाठा, धनेली तक 6-लेन सीमेंट कांक्रीट सड़क का निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक-1, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2013

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./02/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-रायपुर
(ग) नगर/ग्राम-सारागांव, प. ह. नं. 83/10
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.434 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	466/1	0.073
	467	0.146
	468/1	0.069
	469/1	0.146
योग	4	0.434

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रायपुर-बलौदा-बाजार मार्ग के कि.मी. 22/8 में कोल्हान नाला पर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2013

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./03/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-रायपुर
(ग) नगर/ग्राम-मुनरेठी, प. ह. नं. 20
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.742 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
28/8	0.003
29/1-2	0.120
29/3	0.060
28/5	0.060

	(1)	(2)
	28/4	0.053
	28/11	0.020
	28/1	0.100
	28/2	0.126
	29/4	0.060
	29/5	0.140
योग	10	0.742

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुनरेठी खुड़मुड़ी मार्ग पर खारून नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2013

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./23/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-तिल्दा
- (ग) नगर/ग्राम-परसदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.194 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	3	0.061
	4/1	0.028
	4/3	0.008
	4/5	0.097
योग	4	0.194

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-परसदा मोतिमपुर खुर्द मार्ग पर खोरसी नाला पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2013

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./24/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-तिल्दा
- (ग) नगर/ग्राम-मोतिमपुर खुर्द, प.ह.नं. 29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.068 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
114/2	0.020
121/3	0.012
123/5	0.024

	(1)	(2)
	123/31	0.012
योग	4	0.068

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-परसदा मोतिमपुर खुर्द मार्ग पर खोरसी नाला पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2013

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./07/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-डूण्डा, प.ह.नं. 118
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.274 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
92/38	0.011
65/20	0.006
24/13	0.014
165/71	0.045
103/31	0.023
118/13	0.007
117/14	0.014
142/8	0.017
168/34	0.041
92/35	0.022
66/145	0.046
66/165	0.014
66/166	0.014
योग 13	0.274

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नगर विकास योजना क्रमांक-4 (कमल विहार).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2013

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./11/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-डूण्डा, प.ह.नं. 118
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3040 वर्गमीटर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (वर्गमीटर में) (2)
66/76, 66/77	190
66/89	280
66/103	130
66/140	460

	(1)	(2)
	70	1980
योग	6	3040

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नगर विकास योजना क्रमांक-4 (कमल विहार).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कौमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2012

प्रकरण क्रमांक 7/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-धरहर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.16 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
7/3	0.36
48	0.14
68/3	0.14
499/3	0.18
631/2	0.18
632/8	0.20
565/1	0.22
498/2	0.12
607/2	0.05
631/1	0.39
632/7	0.20
32/3	0.14
556/3	0.10
556/8	0.03
498/1	0.12
556/2	0.13
635	0.42
630	0.05
634/1	0.32
565/2	0.48
548	0.13
644/2	0.15
640/3	0.06
568	0.07
557	0.38
567	0.22
556/6	0.08
556/4	0.05
543/13, 544/13	0.22
498/3	0.20
10/1	0.79
43	1.10
556/7	0.05
556/9	0.08
543/2, 544/2	0.05
543/5, 544/5	0.30
543/8, 544/8	0.10
543/11, 544/11	0.04
638/3	0.14
543/6, 544/6	0.17
549/3	0.03
499/2	0.28
640/1	0.18
640/2	0.03
44	0.08
45	0.14

	(1)	(2)
	644/1	0.07
योग	47	9.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सेवरा धनपुर सिवनी मार्ग (मुख्य जिला मार्ग) हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2012

प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-खुरपा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.66 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	609	0.23
	238/1	0.47
	829/1	0.19
	695/5	0.17
	588, 589/2	1.10
	606	0.09
	237/1	0.30
	826/1	0.55
	826/2	0.25
	237/5, 246/5	0.15
	238/2	0.10
	694/2	0.08
	695/8	0.16
	175	0.39
	195	0.06
	695/1	0.17
	691/1	0.03
	209/1	0.20
	209/2	0.16
	826/3	0.25
	237/2	0.05
	834/3	0.38
	241/2	0.25
	530/2	0.13
	530/4	0.04
	590/2	0.49
	695/6	0.17
	242/2	0.37
	687/1	0.11
	194/2	0.02
	679	0.15
	608/3	0.03
	687/3	0.25
	687/4	0.25
	829/2	0.10
	835/2	0.09
	191	0.02
	241/1	0.67
	834/2	0.37
	607	0.14
	829/6	0.10
	687/2	0.25
	228/3	0.13
योग	33	9.66

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सेवरा धनपुर सिवनी मार्ग (मुख्य जिला मार्ग) हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-चौहा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.64 एकड़.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
80	0.15
81/1	0.05
81/2	0.05
83/3	0.06
81/3	0.05
82	0.14
83/1	0.07
83/2	0.07
75	0.15
87/2	0.18
88/2	0.11
89/2	0.09
90/3	0.07
73	0.02
74/2	0.10
79/4	0.12
72/1	0.07
72/4	0.08
72/3	0.06
70/2	0.05
70/4	0.06
70/3	0.04
67/4	0.06
61/14	0.02
61/22	0.06
61/23	0.07
183/2	0.04
183/1	0.04
184/2	0.18
184/3	0.09
197/2	0.12
198/2	0.12
योग	2.64

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चौहा जलाशय योजना निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 32/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-पोंड़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.87 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
3	0.15
4	0.17
5/2	0.08
9/5	0.09
57	0.19

	(1)	(2)
	58	0.19
योग		0.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तुंगनाला व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2012

प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-ऐंठी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.50 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
96/2	0.13
56	0.25
119/1	0.14
123/1	0.14
53/1ड़	0.20
117/2	0.20
68	0.07
114/2	0.29
69/2	0.10
116/1	0.07
116/6	0.05
116/4	0.07
115/2	0.07
118/3	0.07
123/2	0.06
116/5	0.09
63/4	0.08
55	0.15
71/3	0.05
71/1	0.60
64	0.34
114/1	0.28
योग 22	3.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सेवरा धनपुर सिवनी मार्ग (मुख्य जिला मार्ग) हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 फरवरी 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-घोघरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.42 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
233/2	0.13
234/1, 234/2	0.02
334/3	0.12
227/1, 228, 236	0.11
334/5	0.14

(1)	(2)
224/3	0.32
235/2	0.03
227/2, 229/1	0.33
226	0.11
225	0.11
220	0.01
98, 99	0.17
100	0.17
218/2	0.01
108	0.01
212	0.24
209	0.14
210/1	0.15
175/1	0.40
175/2	0.34
158, 176	0.40
159	0.03
107	0.36
72/1	0.23
72/2	0.25
71/1	0.17
71/2	0.03
51/1	0.19
51/2	0.28
113	0.22
116/1	0.09
116/2	0.08
233/1	0.01
210/2	0.02
योग	5.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिलासपुर व्यपवर्तन योजना के मोहतरा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 फरवरी 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-खपरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.29 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
6	0.28
7/2	0.09
9	0.32
16/3	0.21
16/1	0.09
49	0.29
48/4	0.24
39/1	0.11
39/2	0.09
38	0.16
40	0.02
41/1	0.20
146	0.06
41/3	0.20
147/3	0.10
42/2	0.16
139/1	0.49
139/2	0.06
43/2	0.41
118	0.03
119/1	0.04
140/3	0.38
140/1	0.28
153	0.25
150	0.18
147/2	0.07
147/4	0.09
210	0.09
211	0.15
209/5	0.08

(1)	(2)
209/20	0.07
योग	5.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिलासपुर व्यपवर्तन योजना के मोहतरा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 फरवरी 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 8/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
(ख) तहसील-बिल्हा
(ग) नगर/ग्राम-कोटिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.92 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
472/2	0.18
471, 472/1	0.06
470	0.10
195/8	0.09
459/1	0.19
197	0.21
458/1	0.12
458/3	0.19
457	0.01
200/2	0.16
199	0.14
198/2	0.17
177/1	0.25
195/5	0.20
195/4, 195/6	0.28
177/2	0.29
177/3	0.25
195/7	0.01
201	0.02
योग	2.92

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिलासपुर व्यपवर्तन योजना के मोहतरा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 फरवरी 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
(ख) तहसील-बिल्हा
(ग) नगर/ग्राम-बोड़सरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-15.17 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
466/2	1.15
467	0.75
468	0.60
474/1	0.50
474/8क	0.59
474/2	1.00
474/7	0.50
474/8ख	0.59

(1)	(2)
474/8ग	1.09
477/3	0.25
478	1.76
463	0.59
474/5	0.48
479/2	1.78
474/3	0.70
477/2	1.75
473	1.00
450/2	0.07
445/2	0.02
योग	15.17

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कनेरी व्यपवर्तन योजना के डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 मार्च 2013

क्रमांक 05/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-सिलदहा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.86 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
132	0.07
133	0.35
134	0.05
139	0.12
140/1	0.06
149	0.47
150/2	0.16
154/1	0.19
154/2	0.20
155	0.38
156	0.08
160	0.22
161	0.19
181	0.38
275/2	2.80
279	0.30
287	0.80
282	0.42
286/1	0.95
286/2	0.95
288	0.37
290	0.35
योग	9.86

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिलदहा व्यपवर्तन योजना के डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 24/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-रहटाटोर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.70 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
341/1	0.27
350	0.21
351	0.94
352	0.10
359	0.18
360/2	0.20
360/4	0.15
374/1	0.08
375/1	0.17
376/1	0.04
376/2	0.04
377	0.14
378	0.18
योग	2.70

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रहटाटोर एनीकेट के तटबंध एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 23 जनवरी 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 83/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-बड़े भण्डार, प.ह.नं. 39
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.068 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
570	0.020
569	0.113
804/5	0.004
571/1	0.004
575/1	0.004
801	0.121
584/1	0.016
575/2	0.057
574	0.020
824	0.086
578/2	0.045
580	0.073
579	0.085
792/1	0.109
826/2	0.016
664/1	0.028
664/3	0.125
663/4	0.041
791/1	0.166
806	0.101
825/3	0.081
807	0.016
809	0.061
578/1	0.065
825/2	0.041
576	0.016
581/2	0.012
664/2	0.069
802	0.061
810	0.053
823	0.121
805/3	0.028
819/1	0.036
819/2	0.036
820/1	0.057
820/2	0.028

	(1)	(2)
	820/3	0.053
योग	37	2.068

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की मुख्य नहर के अंतर्गत बालपुर माइनर नहर के निर्माण हेतु

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 जनवरी 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-पुसौर
(ग) नगर/ग्राम-नावापारा, प.ह.नं. 26
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.486 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	535/6	0.036
	557/1	0.028
	556/1	0.012
	505/1ख	0.101
	505/1क	0.028
	556	0.240
	541	0.041
योग	7	0.486

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की नहर अंतर्गत धनगांव वितरक नहर के निर्माण हेतु

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 जनवरी 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-पुसौर
(ग) नगर/ग्राम-तेलीपाली, प.ह.नं. 26
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.293 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
46/1	0.036
45/7	0.064
16/2	0.080
43/4	0.040
16/3	0.040
38/1	0.016
38/5	0.012
44/6	0.040
45/5	0.072
45/9	0.048
43/2	0.040
39	0.160
47/1	0.048
46/2	0.036
43/1	0.040
43/5	0.004
38/7	0.032
38/6	0.012
42/10	0.032
44/1	0.012
38/2	0.020
42/7	0.064
47/2	0.040
45/1	0.040
43/3	0.040
17	0.045

	(1)	(2)
	38/4	0.032
	42/2	0.036
	45/6	0.048
	44/2	0.048
	38/3	0.016
योग	31	1.293

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की नहर अंतर्गत खोखरा माइनर 3 नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 जनवरी 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-धनगांव, प.ह.न. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.162 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	208/1 क 2	0.162
योग	1	0.162

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अंतर्गत धनगांव वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 जनवरी 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-तेलीपाली, प.ह.न. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.205 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
348/1	0.008
352/3	0.020
348/4	0.034
395/3	0.020
389/1	0.048
356/8	0.024
375/4	0.042
404/3	0.024
364/11	0.016
388/1	0.039
392/1	0.012
357/3	0.016
348/3	0.034
406/2	0.020
364/19	0.012
372/1	0.048
332/2	0.016
364/10	0.024
384/2	0.004
403/2	0.023
364/12	0.016
384/1	0.004
392/2	0.012
347/1	0.048
348/2	0.034
403/1	0.023
390/4	0.012
372/2	0.048

	(1)	(2)
	372/3	0.008
	375/1	0.045
	396/2	0.017
	364/9	0.012
	364/3	0.040
	359/1	0.038
	349/4	0.020
	347/3	0.048
	332/1	0.048
	391/2	0.004
	359/2	0.038
	396/1	0.017
	389/2	0.024
	375/3	0.043
	404/2	0.004
	390/2	0.010
	357/1	0.032
	374/1	0.016
	352/8	0.007
	428	0.053
योग	48	1.205

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के तेलीपाली माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 जनवरी 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 67/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-पुसौर
(ग) नगर/ग्राम-खोखरा, प.ह.नं. 26
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.640 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	674/4	0.020
	675/14	0.192
	682/5	0.020
	675/11क	0.060
	675/10	0.112
	675/17	0.092
	683	0.008
	675/18	0.036
	674/5	0.020
	675/15	0.040
	682/3	0.012
	675/21	0.028
योग	12	0.640

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की नहर अंतर्गत खोखरा माइनर 3 नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 फरवरी 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2010-11/क्र. 162.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-रायगढ़
(ग) नगर/ग्राम-बरलिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.837 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2/1	0.049

	(1)	(2)
	144/4	0.405
	177/3	0.611
	156/5	0.017
	173/3	0.101
	238/3	0.013
	177/14	0.790
	4/1	0.428
	40/8	0.090
	13	0.490
	144/5	0.061
	177/25	0.350
	169/1	0.202
	173/4	0.036
	238/5	0.069
	177/19	0.020
	194	0.061
	33/6	0.328
	151	0.182
	150	0.291
	173/1	0.101
	238/1	0.125
	177/1	0.206
	177/27	0.162
	222/6	0.138
	46	0.234
	177/6	0.356
	152	0.032
	173/2	0.101
	238/2	0.125
	177/2	0.042
	177/26	0.538
	3/2	1.083
योग	33	7.837

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 12 फरवरी 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-पुसौर

(ग) नगर/ग्राम-रैबार, प.ह.नं. 21

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.168 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
4/9	0.024
49/1क	0.477
51/1क	0.045
58/1	0.061
63/1	0.008
133/2क	0.089
128/1क	0.049
116/12क	0.020
57/1	0.069
4/5क	0.101
55/2क	0.008
129/1	0.109
54/1	0.053
48/1	0.049
47/1	0.049
46/2	0.024
128/2क	0.121
116/1	0.049
59/1	0.105
46/1क	0.049
52/1	0.008
134/1	0.113
55/1क/1	0.089
49/2क	0.057
107/4क	0.008

	(1)	(2)
	133/3क	0.073
	116/13	0.186
	116/9क	0.101
	126/5क	0.057
	19/1	0.024
	142/1	0.489
	56/1	0.020
	53/1	0.057
	144/1	0.016
	133/7क	0.013
	116/14	0.238
	113/10क	0.024
	127/2क	0.036
योग	38	3.168

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अंतर्गत छिछोर उमरिया वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 12 फरवरी 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-चिखली, प.ह.नं. 38
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.971 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
31/1	0.020
43/2क	0.032
43/3क	0.024
47/4	0.012
53/1क, 54/4	0.024
57/2	0.053
59/9	0.049
59/8	0.036
63/2	0.123
73/1क	0.033
82/6	0.087
59/6ग/2	0.049
40/1	0.069
42/1	0.154
44/1	0.061
48, 49	0.049
53/2क, 54/1	0.024
58	0.036
46/1	0.045
62/5	0.049
69/1	0.049
73/2	0.024
82/7	0.087
71	0.008
41/1क	0.018
60/1	0.020
47/2क	0.041
47/7क	0.073
55/1क, 56/1	0.016
59/4	0.032
60/3क	0.089
62/7क	0.040
72/1	0.049
73/3	0.010
43/6	0.024
41/2	0.018
42/3	0.024
47/3क	0.028
52	0.032
62/8क	0.093
46/2	0.028
59/7	0.007
63/1	0.049
69/2क	0.026
73/5	0.008

	(1)	(2)
	59/6क/2	0.049
योग	46	1.971

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अंतर्गत छिछोर उमरिया वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 12 फरवरी 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-नंदेली, प.ह.नं. 37
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.491 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
16/3	0.016
16/4	0.024
165/8	0.041
597/3	0.157
149/5	0.137
171/2	0.008
165/6	0.032
941/2	0.012
938	0.006
149/4	0.024
13	0.008
580	0.036
597/4	0.069
12/5	0.041
581/3	0.161
168	0.020
183	0.045
16/9	0.024
183/1	0.008
149/3	0.086
577/11	0.036
169/2	0.004
16/12	0.024
16/5	0.040
166/1	0.017
12/987/1	0.016
179	0.004
173/2	0.032
181/1	0.024
149/2	0.073
609/1	0.008
148/4	0.036
915	0.006
577/8	0.057
44/2	0.041
941/3	0.053
949/1	0.016
45/3	0.032
12/15	0.012
47/1	0.008
168/3	0.028
623/2	0.024
951/1	0.020
193/2क	0.101
12/10	0.045
16/8	0.040
16/1	0.016
45/986/1	0.061
46/2	0.045
180/1	0.016
183/2	0.026
578/2	0.012
623/5	0.218
610/1	0.061
940	0.016
581/1	0.089
597/8	0.032
562/4	0.008
168/2	0.020
193/4	0.012

	(1)	(2)
	148/3	0.028
	46/1	0.045
	933	0.006
	552/3	0.012
	16/6	0.016
योग	65	2.491

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अंतर्गत छिछोर उमरिया वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 12 फरवरी 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-गुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-कौआताल, प.ह.नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.952 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
234	0.045
245	0.020
246/2	0.081
372	0.002
269/6	0.097
283/5	0.028
291/2	0.073
294/4	0.025
297/6	0.024
302/5	0.041
324/1	0.025
303/7	0.049
329	0.036
330/2	0.016
369/2	0.008
371	0.016
411	0.089
241	0.146
235	0.049
290	0.002
246/3	0.008
269/2	0.057
361/1	0.032
283/6	0.049
294/2	0.024
296/4	0.032
302/1क	0.004
326/2ग	0.065
324/3	0.028
320	0.065
326/1ख	0.024
365	0.045
370/2	0.032
375	0.162
416/7	0.061
238/5	0.065
412	0.146
246/4	0.012
363	0.049
299/7	0.024
283/7	0.041
296/1	0.061
327/2	0.024
302/3	0.041
324/2	0.012
302/10	0.113
321/3	0.012
327/4	0.045
368	0.081
370/3	0.061
267	0.004
416/15	0.064
268/2	0.041
246/1	0.032
246/7	0.016
361/3	0.065

	(1)	(2)
	278/6	0.008
	291/1ख	0.016
	296/2	0.045
	297/2	0.008
	302/4	0.045
	302/6	0.052
	416/14	0.028
	322/1	0.012
	328	0.089
	369/3	0.012
	370/4	0.028
	376/1	0.008
	286/3	0.032
योग	69	2.952

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अंतर्गत कौआताल माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 12 फरवरी 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-तिलगी, प.ह.नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.457 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	198/1	0.040
	252/2	0.004
	217	0.065
	202/3	0.012
	258/2	0.063
	412/4	0.185
	215	0.073
	283	0.015
योग	8	0.457

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना कठली वितरक (पूरक) नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 12 फरवरी 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-सूपा, प.ह.नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.065 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
32/4	0.053

	(1)	(2)
	428/2	0.012
योग	2	0.065

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अंतर्गत कठली वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 फरवरी 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 50/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मौहापाली, प.ह.नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.502 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	192/1	0.061
	192/2	0.053
	272/3	0.202
	272/4	0.186
योग	4	0.502

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मौहापाली जलाशय योजनान्तर्गत पूरक भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 1 अगस्त 2012

रा.प्र.क्र./14/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-सोहगा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.193 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1035/5	1.092
	527/13	0.101
योग		1.193

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-श्याम परियोजना (घुनघुट्टा) के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 अक्टूबर 2012

रा.प्र.क्र./01/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-बतौली

(ग) नगर/ग्राम-लैगू

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.668 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
283/1	0.028
207	0.020
244	0.053
92/1	0.081
91	0.137
153	0.186
223	0.008
281	0.125
99	0.129
269	0.065
273	0.041
95/1	0.259
129	0.077
208	0.008
219	0.061
245	0.053
98	0.077
100	0.089
296	0.109
274	0.041
93	0.113
180	0.141
299/1	0.028
299/2	0.028
182/1	0.137
146/14	0.049
216	0.041
220	0.008
247	0.020
127	0.133
149	0.121
131	0.364
92/2	0.073
97	0.174
263	0.008
71/1	0.194
290	0.085
302/3	0.061
146/22	0.174
304	0.020
283/2	0.024
135/2	0.137
101	0.145
225	0.109
152	0.202
135/3	0.283
130	0.028
264	0.069
138/2	0.081
308	0.061
289	0.016
222	0.028
306/2	0.129
285/1	0.149
209/1	0.016
285/2	0.149
126	0.057
201	0.061
138/1	0.041
313	0.069
306/1	0.162
143	0.133
310	0.036
78	0.299
291	0.053
297	0.028
182/2	0.081
221	0.041
312	0.117
150	0.117
202	0.028
242	0.008
77	0.125
268	0.016
272	0.032
309	0.020
146/23	0.028
योग	6.668

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लैगू व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर एवं उप नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 8 नवम्बर 2012

रा.प्र.क्र./02/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-बतौली
(ग) नगर/ग्राम-बटईकेला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.353 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1606/2	0.020
1611/1	0.073
1614/2	0.016
1666	0.020
1711	0.093
1607	0.024
1612	0.040
1653	0.089
1667	0.032
1943	0.283
1605	0.008
1613/1	0.161
1652/1	0.016
1682	0.146
1609	0.049
1643/1	0.073
1655/2	0.314
1683/1	0.121
1610/2	0.040
1642/1	0.097
1664	0.089
1683/2	0.024
1685	0.242
1613/2	0.178
1665	0.065
1710	0.040
योग	2.353

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-माण्ड व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 8 नवम्बर 2012

रा.प्र.क्र./03/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-मैनपाट
(ग) नगर/ग्राम-पैगा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.739 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
219/18	0.145
219/12	0.315
219/7	0.157
219/5	0.049
216/1	0.045
218	0.243
219/14	0.206
210	0.036
219/2	0.045
219/16	0.287
213/2	0.069
216	0.045
214	0.020

(1)	(2)
219/4	0.032
215	0.045
योग	1.739

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मछली व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 8 नवम्बर 2012

रा.प्र.क्र./04/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-मैनपाट
- (ग) नगर/ग्राम-असगवां
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.160 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
6012	0.081
84/1	0.016
190/7	0.093
48/25	0.049
40	0.121
78	0.028
48/4	0.093
48/29क	0.041
168	0.129
48/22	0.100
194/12	0.206
30/3	0.417
76/11	0.032
48/15	0.178
173/3	0.226
59	0.105
61/2	0.073
46/4	0.081
66	0.029
35	0.182
48/39क	0.061
194/22	0.553
48/24	0.203
5/2	0.093
58	0.036
193/1	0.021
48/32क	0.225
190/2	0.093
194/13	0.093
79	0.089
46/6	0.069
97	0.057
157/11	0.182
48/32ख	0.137
194/26	0.093
194/30	0.611
5/3	0.134
157/36	0.162
76/2	0.061
48/40	0.050
31	0.073
48/47	0.101
194/2	0.369
46/7	0.157
48/12	0.061
163	0.049
73	0.093
194/24	0.186
194/2ख	0.162
1/7	0.093
194/20	0.230
48/43	0.364
72	0.061
98	0.101
48/48	0.057
60/3	0.081
48/36	0.093
41/1	0.182

(1)	(2)
48/26	0.182
6/2	0.093
46/1	0.457
157/3	0.093
1/10	0.093
48/52	0.579
32	0.093
194/8	0.230
65	0.020
194/4	0.182
194/7	0.093
46/5	0.226
157/7	0.061
194/10	0.093
48/2	0.138
157/6	0.226
157/37	0.457
75	0.028
योग	11.160

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मछली व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत मुख्य नहर एवं उपनहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 8 नवम्बर 2012

रा.प्र.क्र./04/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सीतापुर
- (ग) नगर/ग्राम-बेलजोरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-32.382 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
827/1	0.809
1056/1	0.224
1049	0.016
1311/2	0.202
852/1	0.405
959	0.182
961/2	0.146
969/5	0.109
1002	0.061
1012/1	0.041
1303/2	0.060
988	0.073
977/1	0.144
991/1	0.206
1269	0.445
1042	0.063
1262	0.100
1591/1	0.061
1138/3	0.323
1263	0.833
1296	0.417
1304/2	0.299
1318/2	0.182
1318/1	0.231
1293/11	0.688
828	0.069
827/3	0.227
835	0.202
839	0.316
1015/1	0.219
960	0.128
963	0.020
1000	0.256
1005	0.121
1015/5	0.044
1582	0.032
989	0.239
980	0.069
993	0.089
1271	0.858
1046	1.125
1058	0.060
1120/3	0.202
1153	0.040

(1)	(2)	(1)	(2)
1282	0.316	1292/2	0.293
1297	0.049	1292/2	0.294
1311/1	0.405	1215	0.049
1315/1	0.283	1285/2	0.526
1514	0.223	1302	0.158
991/5	0.117	1313	0.061
829	0.202	1315/3	0.644
831	0.870	1013	0.146
836	0.057	1295/1	0.158
1030	0.308	833	0.045
1213/2	0.097	838	0.466
1260	0.085	840	0.061
964	0.757	957	0.020
1001	0.160	1539	0.591
1002	0.089	965	0.057
1003	0.125	979	0.105
1004	0.384	1010	0.057
1005	0.445	1012/2	0.056
1006	0.341	986	0.040
1007	0.494	976/1	0.069
1008	0.040	991/4	0.211
1009	0.340	1210	0.206
1010	0.101	1039	0.140
1011	0.040	1054	0.283
1012	0.294	1586/1	0.092
1013	0.259	1586/2	0.091
1014	0.223	1239/2	0.320
1015	0.235	1293/7	0.255
1016	0.323	1303/1	0.457
1017	0.050	1314	0.065
830	0.020	1316/2	0.040
832	0.024	1055/5	0.045
836	0.462	827/2	0.202
1031	0.829	834	0.190
956	0.210	1138/5	0.324
1291	0.024	851/1	0.243
1298	1.044	958	0.231
967	0.125	961/1	0.068
1009	0.057	966	0.028
1011/2	0.008	1003	0.016
969/3	0.344	1011/1	0.024
969/4	0.012	1014	0.219
985/2	0.109	987	0.024
1023	0.186	1075/2	0.101
1038/3	0.328	991/3	0.211
1048	0.510	1255	0.283
		1040	0.158

(1)	(2)
1057	0.146
1590/1	0.022
1590/2	0.023
1261	0.352
1295/2	0.202
1304/1	0.304
1316/1	0.073
1317	0.040
1230	0.157
योग	32.382

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम बेलजोरा जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 8 नवम्बर 2012

रा.प्र.क्र./01/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सीतापुर
- (ग) नगर/ग्राम-धरमपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.387 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
730	0.021
737/1	0.012
671	0.026
649/1	0.056
646	0.101
614	0.113
443	0.078
432	0.142
399/7	0.060
731	0.065
584	0.004
672	0.062
647/1	0.075
608/3	0.093
633	0.186
440	0.012
433	0.078
434/1	0.083
592/1	0.061
585	0.084
654	0.210
647/2	0.075
610/1	0.188
616	0.020
612/1	0.008
400	0.226
438	0.105
727/1	0.196
593/2	0.093
657	0.226
644/1	0.024
613/1	0.061
632/1	0.101
612/2	0.004
499/4	0.180
736/1	0.092
732/1	0.057
595	0.045
658	0.136
645	0.128
613/2	0.041
628/3	0.190
435	0.057
499/5	0.060
715/1	0.020
679	0.060
643	0.101
629/2	0.036
613/3	0.008
442	0.185
437	0.012

	(1)	(2)
	399/6	0.030
योग		4.387

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम बेलजोरा जलाशय योजना के अंतर्गत नहर एवं उपनहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 8 नवम्बर 2012

रा.प्र.क्र./02/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-सीतापुर
(ग) नगर/ग्राम-धरमपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.569 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
658	0.026
138/3	0.090
706	0.030
660/2	0.060
690/2	0.041
707/3	0.026
145	0.030
727/1	0.020
685/2	0.030
144	0.030
726/2	0.041
141	0.035
717/2	0.060
140/2	0.026
718/2	0.024
योग	0.569

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम बेलजोरा के जलाशय योजना के अंतर्गत उपनहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 8 नवम्बर 2012

रा.प्र.क्र./03/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-सीतापुर
(ग) नगर/ग्राम-बेलजोरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.245 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1734/1	0.036
1652	0.020
1735	0.016
1639	0.035
1738	0.020
1742	0.014
1740	0.020
1753	0.058
1640	0.026
योग	0.245

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम बेलजोरा के जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र एवं अध्यक्ष बालयर प्रचालन इंजीनियर परीक्षक मंडल, छत्तीसगढ़

जी. ई. रोड, आमापारा, पो. विवेकानंद आश्रम, रायपुर.

रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2013

बायलर प्रचालन इंजीनियर (बी.ओ.ई.) परीक्षा

(आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 11-03-2013)

क्रमांक मुनिवा/ए-14/904/2013.—सूचित किया जाता है कि बायलर प्रचालन इंजीनियर नियम-2011 के अंतर्गत बायलर प्रचालन इंजीनियरिंग में प्रवीणता प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु परीक्षा दिनांक 14 से 17 मई-2013 को कोरबा में आयोजित की जावेगी. परीक्षार्थी आवेदन-पत्र (प्रपत्र-क) इस कार्यालय से स्वयं का पता लिखा 4×10 इंच साईज का लिफाफा जिस पर रु. 10/- मात्र के डाक टिकिट लगे हों, भेजकर प्राप्त कर सकते हैं. आवेदन-पत्र (प्रपत्र-क) की छायाप्रति भी मान्य होगी. आवेदन-पत्र (प्रपत्र-क) केवल शासकीय डाक द्वारा जारी किये जावेंगे.

परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र परीक्षा शुल्क रु. 1500/- के मूल चालान के साथ निर्धारित प्रपत्र-क पर सम्पूर्ण विवरण के साथ भाग-IV में परीक्षार्थी के हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी अथवा अपने नियोक्ता द्वारा प्रमाणित कर सचिव, बायलर प्रचालन इंजीनियर परीक्षक मंडल, कार्यालय मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, जी.ई. रोड, आमापारा, पो. विवेकानंद आश्रम, रायपुर-492001 में दिनांक 11-03-2013 तक या उसके पूर्व स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक द्वारा पहुंचने चाहिये. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन-पत्र निरस्त कर दिये जावेंगे.

पात्रता :—

स. क्र.	शैक्षणिक योग्यता	न्यूनतम अनुभव	अनुभव का प्रकार
1.	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मेकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/केमिकल/पावरप्लांट/प्रोडक्शन इंजी./इंस्ट्रमेंटेशन इंजीनियरी में डिग्री.	02 वर्ष	न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर हीटिंग सरफेस एरिया (रेटिंग) के बायलर का आपरेशन और/या मेंटेनेंस में अनुभव.
2.	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मेकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/केमिकल/पावरप्लांट/प्रोडक्शन इंजी./इंस्ट्रमेंटेशन इंजीनियरी में डिप्लोमा.	05 वर्ष	**या** बैटरी में जुड़े हुये बालयरों जिनका कुल हीटिंग सरफेस एरिया 1000 वर्ग मीटर से कम न हो जिनमें से एक बायलर कम से कम 500 वर्ग मीटर हीटिंग सरफेस एरिया का हो, आपरेशन और/या मेंटेनेंस में अनुभव.
3.	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मेकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/केमिकल/पावरप्लांट/प्रोडक्शन इंजी./इंस्ट्रमेंटेशन इंजीनियरी में डिग्री एवं एन.पी.टी.आई. से पी.जी. डिप्लोमा.	01 वर्ष	
4.	एन.पी.टी.आई. से डिग्री	01 वर्ष	

टीप तथा अन्य शर्तें :—

1. परीक्षक मंडल के निर्णय के अनुसार इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि को छत्तीसगढ़ में स्थित बायलरों पर कार्यरत व्यक्तियों को परीक्षा में प्रवेश दिया जावेगा तथा अन्य राज्यों में स्थित बायलरों पर कार्यरत व्यक्तियों को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा.

2. आवेदन प्रपत्र 'क' के भाग-IV में परीक्षार्थी का हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी अथवा नियोक्ता द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है. अन्य व्यक्ति अथवा अन्य पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर प्रमाणीकरण अमान्य है.

3. आवेदन प्रपत्र "क" से भाग-I, II, III तथा IV के सभी कालम की पूर्ति की जावे. प्रपत्र "क" में कांट-छांट अमान्य है. अपूर्ण आवेदन अथवा त्रुटिपूर्ण चालान अथवा त्रुटिपूर्ण आवेदन अथवा निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन निरस्त किये जावेंगे.

4. परीक्षा शुल्क-निर्धारित परीक्षा शुल्क रु. 1500=00 की राशि का चालान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित अधिकृत बैंक में निम्नलिखित आयमद में जमा किया जावे :—

0230	—	श्रम तथा रोजगार
00	—	.....
103	—	भाप बायलरों हेतु निरीक्षण शुल्क (राज्य)
0000	—	.....

5. निर्धारित प्रारूप में सेवा प्रमाण-पत्र दो अलग-अलग अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये जिसमें से एक अधिकारी धारा 2 (डी) के अंतर्गत मालिक (जिनके नाम पर बायलर का प्रमाणपत्र जारी किया जाता है) होना अनिवार्य है. एक ही अधिकारी द्वारा सेवा प्रमाण पत्र हस्ताक्षर एवं प्रतिहस्ताक्षर अमान्य है.

6. आवेदन प्रपत्र "क" के साथ निर्धारित प्रारूप में मूल सेवा प्रमाणपत्र, परीक्षा शुल्क का मूल चालान, स्वयं के चार पासपोर्ट साईज (50mm×65mm) फोटो जो हाल ही में निकाले गये हों तथा जिनमें से दो के पीछे परीक्षार्थी का हस्ताक्षर कर राजपत्रित अधिकारी या नियोक्ता से प्रमाणित हों, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र की स्वयं प्रमाणित फोटो कापी तथा आयु संबंधी प्रमाणपत्र की स्वयं प्रमाणित फोटो कापी संलग्न करें.

7. दो सेवाओं के बीच 90 दिवस से अधिक का व्यवधान होने की स्थिति में आवेदक द्वारा कारण बताते हुये स्पष्टीकरण पत्र दिया जावे. एक से अधिक सेवाओं की स्थितियों में समस्त सेवाओं हेतु सेवा तथा चरित्र प्रमाणपत्र निम्नलिखित निर्धारित प्रारूप में ही मान्य होगा.

8. उम्मीदवार की न्यूनतम आयु दिनांक 01-02-2013 को 23 वर्ष पूर्ण होना चाहिये.

9. न्यूनतम अनुभव दिनांक 01-02-2013 की स्थिति में पूर्ण होना चाहिये.

10. बायलर प्रचालन इंजीनियर नियम-2011 के अनुसार अनुभव के आधार पर लिखित परीक्षा के किसी विषय से छूट का प्रावधान नहीं है. समस्त आवेदकों को लिखित परीक्षा के तीनों विषयों (बायलर इंजीनियरिंग-I, बायलर इंजीनियरिंग-II तथा ड्राइंग) में शामिल होना अनिवार्य है.

11. सेवा तथा चरित्र प्रमाणपत्र निम्नलिखित संशोधित प्रारूप में प्रस्तुत किया जावे. अन्य किसी प्रारूप में प्रस्तुत प्रमाणपत्र अमान्य है.

सेवा तथा चरित्र प्रमाणपत्र का प्रारूप

दिनांक .....
स्थान .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ———————————————— पदनाम ———————— ———————— आत्मज श्री ———————————————— हमारी ईकाई में दिनांक ———————— से दिनांक ———————— तक/आज दिनांक तक ———————— निम्नलिखित बायलरों के प्रचालन और/या रखरखाव का कार्य कर रहे हैं/थे.

हमारी ईकाई में स्थामित बायलर/बायलरों का विवरण निम्नानुसार है :—

1. बायलर पंजीयन/मेकर क्रमांक :
2. बायलर का प्रकार :

3. वर्किंग प्रेशर(कि. ग्राम प्रति वर्ग से.मी.) :
4. तापन सतह/रेटिंग (वर्गमीटर) :
5. अंतिम निरीक्षण दिनांक :
6. क्या बायलर बैटरी में जुड़े हैं. :

हमारी जानकारी के अनुसार इनका चरित्र अच्छा है तथा इनकी जन्मतिथि ———————— है. यह प्रमाण-पत्र इनको छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित होने वाली बायलर प्रचालन इंजीनियर परीक्षा में सम्मिलित होने बाबत् प्रदान किया जा रहा है.

प्रमाणित किया जाता है कि :— (जो लागू न हो उसे काट देवें)

(अ) श्री ———————————————— हमारी संस्था में उपरोक्त पद पर वास्तविक रूप से कार्यरत् हैं तथा इनका भविष्य निधि खाता क्रमांक ———————— है.

(ब) हमारी संस्था में आवेदक हेतु भविष्य निधि लागू नहीं है परन्तु श्री ———————— हमारी संस्था में उपरोक्त पद पर वास्तविक रूप से कार्यरत हैं तथा उनका वेतन एवं उपस्थिति का अभिलेख हमारी संस्था में उपलब्ध है. उपरोक्त अभिलेख जांच/निरीक्षण हेतु मांगे जाने पर उपलब्ध करा दिया जावेगा.

बायलर अधि. 1923 की धारा 2 (डी) में

प्रतिहस्ताक्षर ———————— घोषित बायलर मालिक/एजेन्ट का हस्ताक्षर ————————
नाम ———————— नाम ————————
पदनाम ———————— पदनाम ————————
पदमुद्रा (सील) ———————— पदमुद्रा (सील) ————————

गुंजन शुक्ला,
सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 2nd February 2013

No. 79/Confdl./2013/II-2-1/2013.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), are transferred from the place shown in column No. (3) to the place shown in column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date they assume charge of their office and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Sessions Judges of the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri C.B. Bajpai, District & Sessions Judge.	Mahasamund	Durg	Durg	District & Sessions Judge.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Smt. Anuradha Khare, I Additional Principal Judge, Family Court.	Durg	Mahasamund	Mahasamund	District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 2nd February 2013

No. 81/Confdl./2013/II-2-90/2001 (Pt. III).—Shri A. K. Panda, Member of Higher Judicial Service and presently posted as District & Sessions Judge, Durg is transferred and appointed as Registrar (Vigilance), in the Establishment of the High Court and Shri Mansoor Ahmed, Member of Higher Judicial Service and presently posted as II Additional District & Sessions Judge, Bilaspur is transferred and appointed as Additional Registrar (Administration), in the Establishment of the High Court from the date they assume charge of their office.

By order of the Hon'ble High Court,
ARVIND SHRIVASTAVA, Registrar General.

Bilaspur, the 4th February 2013

No. 03/II-14-1/2012 (Pt. III).—The following Section Officers & Private Secretaries of this Registry are promoted to the post of Assistant Registrar in the PB-3 of Rs. 15600-39100+Grade Pay 5400/- on the establishment of this High Court, in officiating capacity for a period of two years from the date they assume charge of their duties :—

Sl. No. (1)	Name & Designation (2)
1.	Shri R. S. N. Raju, Private Secretary
2.	Shri M. V. L. N. Subhramaniyam, Private Secretary
3.	Shri Kumar Animesh, Section Officer
4.	Shri Avanish Kumar Pathak, Private Secretary
5.	Smt. Livleen Sheikh, Section Officer
6.	Shri Avanish Jyotishi, Private Secretary

Shri R. S. N. Raju, Private Secretary is promoted to the post of Assistant Registrar notionally w.e.f. o4-08-2011 with the principal of "No Work No Pay" and he is promoted on regular basis w.e.f. the date he assumes the charge of his duties to the post of Assistant Registrar. Accordingly, he is placed in the Gradation List of Assistant Registrar above Shri Himanshu Kumar Sinha and below Shri Ashesh Shrivastava, Assistant Registrar.

Further, proforma promotion is granted to Shri Kumar Animesh, Section Officer and Shri Avanish Kumar Pathak, Private Secretary (Presently posted as Recovery Officer and Assistant Registrar in DRT, Patna and Jabalpur, respectively) to the post of Assistant Registrar.

The inter-se-seniority of promoted officers shall be governed as per rules.

Bilaspur, the 4th February 2013

No. 04/II-14-1/2012 (Pt. III).—The following Assistant Grade-I of this Registry are promoted to the post of Section Officer in the PB-2 of Rs. 9300-34800+Grade Pay 4400/- on the establishment of this High Court, in officiating capacity for a period of two years from the date they assume charge of their duties :—

Sl. No. (1)	Name (2)
1.	Shri Ashok Kumar Dewangan
2.	Shri Ramayan Prasad Dewangan
3.	Shri Arun Kumar Potdar
4.	Shri L. K. Pathak
5.	Shri Sanjay Shrivastava
6.	Ku. Vanita Agarwal
7.	Smt. Ruchi Sonkar
8.	Shri K. Satya Prakash
9.	Shri S. R. Mahale
10.	Shri Vikas Mandal
11.	Shri Dinesh Chandra Bawankar
12.	Shri Kishan Kumar Verma
13.	Shri S. N. Chowkikar
14.	Shri Prashant Bhatt
15.	Ku. Saraswati Kashyap
16.	Shri Pradeep Kumar Dongre
17.	Shri Santosh Kumar Ghole
18.	Shri Yogendra Shrivastava
19.	Shri Umesh Kumar Rajak
20.	Shri Mohan Mehar
21.	Shri Fanendra Kumar Bisen
22.	Shri Girdhari Ram Janghel
23.	Shri Ravindra Singh Negi

Shri Ashok Kumar Dewangan, Shri Ramayan Prasad Dewangan and Shri Arun Kumar Potdar are promoted to the post of A.G.-I and Section Officer notionally with the principal of "No Work No Pay" w.e.f. 28-12-2004 and 29-09-2005 repsectively, i.e. the date when their juniors, Shri Ramakant Banjari and others were promoted to the post of A.G.-I in the year 2004 and Section Officer in the year 2005.

Further, Shri Ashok Kumar Dewangan, Shri Ramayan Prasad Dewangan and Shri Arun Kumar Potdar are promoted to the post of Section officer on regular basis w.e.f. the date they assume the charge of their duties to the post of Section Officer on the establishment of this High Court.

Bilaspur, the 4th February 2013

No. 05/II-14-1/2012 (Pt. III).—The following Stenographers of this Registry are promoted to the post of Private Secretary in the PB-2 of Rs. 9300-34800+Grade Pay 4400/- on the establishment of this High Court, in officiating capacity for a period of two years from the date they assume charge of their duties :—

Sl. No. (1)	Name of Stenographer (2)
1.	Shri Ved Prakash Dewangan

(1)	(2)
2.	Shri Ashok Sahu
3.	Smt. Deepti Harikumar
4.	Ku. Laxmi Mishra

Further, proforma promotion is granted to Ku. Laxmi Mishra, Stenographer of this Registry (presently posted as Stenographer Grade 'C' in CAT, Jabalpur) to the post of Private Secretary.

Bilaspur, the 6th February 2013

No. 947/III-6-2/2007.—In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act, No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by specially empowers Shri Shailendra Chauhan, Judicial Magistrate First Class, Bacheli, District, Dakshin Bastar Dantewara, to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section.

Bilaspur, the 8th February 2013

No. 87/Confdl./2013/II-2-90/2001 (Pt. III).—Shri T. K. Chakravarti, Member of Higher Judicial Service presently posted on deputation as Legal Advisor to the Governor of Chhattisgarh, Raipur, is transferred and posted as Registrar (Inspection & Enquiry), in the Establishment of the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur from the date he assumes charge of his office till 20-02-2013.

By order of the Hon'ble High Court,
R. C. S. SAMANT, I/C Registrar General.